'मोबाइल स्वीच ऑफ रखने व समस्या का निस्तारण नहीं होने पर होगी कार्रवाई'

- जिला कलेक्टर ने बिजली, पानी और सड़क महकमों की बैठक ली
- जिला कलक्टर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रगतिरत प्रोजेक्ट की जानकारी ली

उदयपुर में ग्रीष्म ऋतु के मद्देनजर बिजली-पानी व सड़क सुविधाओं को लेकर जिला कलक्टर अरविन्द पोसवाल ने बैठक ली।

उदयपुर, (कासं)। जिला कलक्टर अरविन्द कुमार पोसवाल ने कहा कि ग्रीष्मकाल में बिजली-पानी की आपूर्ति सुचारू रखने के लिए हर संभव प्रयास हो। आमजन से सीधे जुड़े महकमों के अधिकारी-कर्मचारी अपने मोबाइल हमेशा चालू रखें, आमजन की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनें तथा संतोषप्रद जवाब दें। मोबाइल स्वीच ऑफ रखे जाने और आमजन की समस्या का निस्तारण नहीं होने की शिकायत मिलने पर संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिला कलेक्टर ग्रीष्म ऋतु के मद्देनजर बिजली-पानी और सड़क सुविधा को लेकर संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने सर्वप्रथम बिजली व्यवस्था की जानकारी ली। अजमेर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता भवानीशंकर शर्मा ने बताया कि उदयपुर जिले में कुल 9 लाख 22 हजार 180 विद्युत उपभोक्ता हैं, इनमें 7.5 लाख घरेलू, 80 हजार कृषि, 13 हजार औद्योगिक तथा शेष 84 हजार अघरेलू व अन्य कनेक्शन हैं। जिले की दैनिक विद्युत खपत औसतन गर्मी के मौसम में 85 लाख यूनिट (करीब 354 मेगावाट) रहती है, लेकिन इस बार बढ़कर करीब 100 लाख यूनिट (417 मेगावाट) हो गई है। अत्यधिक गर्मी और ओवरलोडिंग के कारण पिछले दिनों 220केवी देबारी को फीड होने वाली चित्तौड़-देबारी लाइन 7 एवं 8 मई को दो बार ट्रिप हो गई थी। इससे उदयपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित हुई थी। उक्त ओवरलोडिंग को दूर करने क लिए उदयपुर में सुबह 6.30 से 8.30 बजे तक ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक 33केवी सब स्टेशन पर 50 प्रतिशत कटौती तथा शाम 5.30 से रात 11.30 बजे तक औद्योगिक कनेक्शनों पर 50 प्रतिशत कटौती की जाती है, ताकि सभी को सुचारू बिजली आपूर्ति की जा सके। उन्होंने अवगत कराया कि दो दिन पूर्व तूफान के कारण निगम के 17 ट्रांसफर्मर तथा 85 पोल को क्षति पहुंची थी, जिसे निगम की टीम ने 24 घंटे काम करके त्वरित रूप से दूरस्त कराकर सप्लाई रिस्टोर करा दी है।

जिला कलक्टर पोसवाल ने आगामी दिनों में गर्मी बढ़ने पर मांग और आपूर्ति में अंतर बढ़ने तथा लोड बढ़ने पर तकनीकी समस्या की संभावना व्यक्त करते हुए निगम अधिकारियों को पूरी तरह से मुस्तैद रहते हुए किसी भी तरह की समस्या का समय पर निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से भी प्रगतिरत प्रोजेक्ट की जानकारी ली। इसमें पीडब्ल्यूडी सिटी सर्कल के अधीक्षण अभियंता राजीव अग्रवाल और ग्रामीण सर्कल के अधीक्षण अभियंता अनिल गर्ग ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय के द्वितीय चरण के अंतर्गत उदयपुर जिले में कुल 12 सड़कों के सुदृढीकरण एवं नवीनीकरण के कार्य प्रगतिरत हैं, जिन्हें जून माह तक पूर्ण करा लिया जाएगा। बजट घोषणा वर्ष 2024.25 के अंतर्गत प्रति विधानसभा 5 करोड़ के नोन पेचेबल व मिसिंग लिंक के स्वीकृत कार्यों की निविदा प्रक्रिया कर ली गई हैं, लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता समाप्ति के पश्चात कार्यादेश जारी कर कार्य प्रारंभ कराया जाएगा।बैठक में जिला कलक्टर पोसवाल ने उदयपुर शहर सहित जिले में पेयजल आपूर्ति की स्थिति के बारे में जानकारी ली। इसमें जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता मोहनलाल मीणा ने जिले भर में सुचारू जलापूर्ति की बात कही। जिला कलक्टर ने 16 मई को शहर सहित जिले भर में जलापूर्ति जांच का अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग के सभी अभियंतागण जलापूर्ति की जांच करेंगे। इसमें जलापूर्ति का समय, सप्लाई का प्रेशर, आपूर्ति किए जा रहे पानी की गुणवत्ता आदि सभी बिन्दुओं का परीक्षण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने विद्युत निगम को भी 16 मई को सभी 33केवी सब स्टेशन की फील्ड जांच कर सुचारू विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएचईडी से कंटीजेंन्सी प्लान के बारे में भी जानकारी ली। एसई मीणा ने अवगत कराया कि कंटीजेंन्सी मद में स्वीकृत 5 कार्या में से 4 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जिनके अंतर्गत एक नलकूप का निर्माण, पंपसेट/पैनल आदि बदलने का कार्य किया है। ग्रामीण क्षेत्र में 94 आबादियों में 131 टैंकर ट्रिप तथा कानोड़ कस्बे में 45 टैंकर ट्रिप पेयजल परिवहन किया जा रहा है।बैठक में जिला कलक्टर ने बिजली, पानी सहित सभी आमजन से जुड़े विभागों के अधिकारियों को जन समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अधिकारी-कर्मचारी आमजन की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनकर उसका उचित समाधान करें और आमजन को संतोषप्रद जवाब दें। किसी भी अधिकारी का फोन स्वीच ऑफ रहने अथवा संतोषप्रद जवाब नहीं दिए जाने की शिकायत मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

इधर, अजमेर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता ने फोन बंद रखने तथा आमजन की समस्या का समय पर निस्तारण नहीं करने पर निगम के कुछ अभियंताओं को नोटिस भी जारी किए।

हत्या कर शव तालाब में फेंका

उदयपुर, (कासं)।आपसी कहासुनी के दौरान युवक की हत्या कर लाश को उदयसागर में फैंकने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया।

पुलिस से प्राप्त जानकारी केअनुसार पीडिता जसूडीबाई पत्नी भगवतीलाल निवासी ढिकली नाती तलाई ने हेमराज पुत्र हरजा गमेती निवासी बिकरनी, शंकरलाल पुत्र रामा गमेती निवासी गुडली गोडवा, विजय पुत्र कालुलाल हरिजन निवासी जिंक चोराया उदयसागर, शंकर लाल पुत्र गणेश नायक निवासी बिछडी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमें पीडिता ने बताया कि हेमराज, शंकर गमेती, शंकर नायक विजयहरिजन आपस में मित्र है तथा गत दिनों हेमराज व शंकर के बीच लेने देन को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान हेमराज व भगवतीलाल को बाइक पर घुमते हुए देख लिया। इस दौरान हेमराज के कहने पर भगवतीलाल ने बाइक गिरवी रखने के लिए शंकर को कहा इस पर उन्हे जिंक चौराहा पर बुलाया। जहां विजु हरिजन ने आरसी मांगते हुए 7 हजार रूपये में गिरवी रखने की बात कही। कम पैसे व आरसी नहीं होने से चलेगए। इस पर दुबारा शंकर ने भगवतीलाल को 10 हजार रूपये देने की बात कहते हुए बुलाया तथा 7 हजार थमते हुए 3 हजार बाद में देने को कहा। कुछ समय बाद सीी साकरोदा की तरफ पार्टी बनाने के लिए रवाना हो गए। बीच में शंकर नायक साथ ले लिया। नाहर मगरा ठेके से बीयर लेकर रवाना हुए। इस दौरान भगवती लाल को पता चलने पर उसने हेमराज को मारने की योजना बता दी। इसको देख हेमराज भाग कर ट्रेक्टर ट्रोली में छिप गया। जिसे तलाश कर वापस लाए तथाउसके साथ मारपीट कर घायल कर दिया। इसी दौरान भागने का कारण पूछा तो उसने भगवतीलाल द्वारा मारने की जानकारी देने से छिपने की बात कही। इस पर आरोपियों ने भगवतीलाल के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी।

शिविर आज

उदयपुर, (कासं)। राजकीय आदर्श आयुर्वेद औषधालय, सिन्धी बाज़ार प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रियजनों की याद में लगने वाले शिविरों' की श्रृंखला में आयोजन आज होगा।

प्रारूप-10 (नियम-6(7) देखिए)

प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय नगर परिषद् सलुम्बर जिला सलुम्बर

क्रमांक: न.प.स./2024-25/333 दिनांक: 13.05.2024

लोक - सूचना

श्री विजय प्रकाश पिता श्री कालुलाल मीणा निवासी अगाटिया तहसील सलुम्बर जिला सलुम्बर (राज.) ने नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि जो अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

जिल सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	कुल क्षेत्र
तहसील सलुम्बर जिला सलुम्बर	लकापा पटवार मण्डल अदकालिया	1448/1411	0.3000हैक्टेयर

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सुचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 13.5.2024 जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद सलुम्बर

प्रारूप-10 (नियम-6(7) देखिए)

प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय नगर परिषद् सलुम्बर जिला सलुम्बर

क्रमांक: न.प.स./2024-25/334 दिनांक: 13.05.2024

लोक - सूचना

श्री ललित पिता श्री नाथुलाल (नाथुराम जी) जोशी निवासी खेराड तहसील सलुम्बर जिला सलुम्बर (राज.) ने नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि जो अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

जिल सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	कुल क्षेत्र
तहसील सलुम्बर जिला सलुम्बर	लकापा पटवार मण्डल अदकालिया	1647/1495, 1649/1495,1339	0.9250हैक्टेयर

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सुचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 13.5.2024 जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद सलुम्बर

प्रारूप-10 (नियम-6(7) देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद राजसमन्द

सं. 664 दिनांक: 14/5/2024

लोक - सूचना

श्री चुन्नीलाल कुमावत पिता श्री द्वारकाप्रसाद कुमावत तहसील व जिला राजसमन्द द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर - कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

क्र. सं.	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
1	राजसमन्द	सनवाड़	1229	रकबा0.1619हैक्टेयर

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 14.5.24 जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद राजसमंद

पांच साल पहले बिछड़ी गोरी को परिवार से मिलवाया

उदयपुर के आशाधाम आश्रम ने पांच साल पहले बिछड़ी गोरी को परिवार से मिलवाया।

- काउंसलिंग के बाद याददाश्त पुनः लौटने पर घर का पता तथा परिवार वालों के नाम बताए

उदयपुर, (कासं)। पांच वर्ष पूर्व अपने परिवार बिछड़ी महिला को मंगलवार को आशाधाम ने मिलवाया तो उस परिवार बहुत भावुक हो गया और आशाधाम का आभार व्यक्त किया।

आशाधाम आश्रम में 15 अक्टूबर 2019 को सुखेर थाना पुलिस द्वारा गोरी नामक महिला को भर्ती करवाया गया था।पुलिस को गोरी विमंदित अवस्था में छोटा बेदला गांव में लावारिस अवस्था में घूमते हुए मिली आश्रम में भर्ती करवाने के पश्चात उसका नियमित ईलाज चला जिससे उसकी स्थिति में सुधार हुआ। नियमित काउंसलिंग के पश्चात उसे अपनी याददाश्त पुनः लौटने पर इसने अपना घर का पता तथा परिवार वालों के नाम बताए उसने अपना गाँव उमरखेड़ जिला औरंगाबाद महाराष्ट्र बताया,इस पते पर इंटरनेट के माध्यम से पता करने पर एक मौलवी से संपर्क हुआ मौलवी के माध्यम से गौरी के बच्चों से संपर्क हुआ। उसके परिवार में दो बच्चे हैं जो मौसी के साथ रहते हैं।मंगलवार को गौरी का पुत्र जावेद शेख आशाधाम आश्रम में उसे लेने के लिए आया तो उसने बताया कि मेरी माँ तो 2017 से घर से निकल गई थी, हम उस समय बहुत छोटे थे और उसके पिता की मृत्यु हो गई थी जिससे हम दोनों भाई अकेले हो गए थे। हमने इसे बहुत ढुंढा किंतु कहीं पता नहीं चला हम मौसी के साथ रहते हैं।उन्होंने कहा कि अब हमारी मां मिल गई है इसके साथ रहेंगे इसे संभालेंगे इसके लिए मैं सिस्टर डेमियन का बहुत आभारी रहूंगा मुझे और मेरे परिवार को मेरी मां से मिलाया मैं आशाधाम आश्रम का बहुत आभारी रहूंगा हमारे परिवार में मां के मीलने की बहुत खुशी है।

पेयजल सुविधा का लिया जायजा

उदयपुर, (कासं)। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल देर शाम सिटी राउंड पर रहे। उन्होंने सूरजपोल क्षेत्र के खटीकवाड़ा इलाके में पेयजल सप्लाई की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान कलक्टर ने घर-घर जाकर आमजन से पूछा कि-पानी पूरा आ रहा है या नहीं। इस पर सभी ने जवाब दिया कि पेयजल सप्लाई सुचारू एवं व्यवस्थित है। शहरवासियों पेयजल सप्लाई की व्यवस्था पर संतुष्टि जाहिर की।निरीक्षण के दौरान विभाग के तकनीकी कर्मियों ने प्रेशर मीटर के माध्यम से जिला कलक्टर को पानी के प्रेशर से अवगत कराया और पानी का क्लोरीन टेस्ट कर गुणवत्ता की जानकारी भी दी। कलक्टर ने प्रेशर और सप्लाई के बारे में नागरिकों से जानकारी ली और विभागीय अधिकारियों को ग्रीष्म ऋतु में पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति के निर्देश दिए। वहीं पानी की गुणवत्ता बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया। इस अवसर पर जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता मोहनलाल मीणा ने अवगत कराया कि क्षेत्र में प्रतिदिन दो घंटे शुद्ध पेयजल की सप्लाई उचित प्रेशर के साथ की जा रही है। जिला कलक्टर के निर्देश पर गुरुवार को विभाग के अभियंताओं की टीम विभिन्न क्षेत्रों में जाकर सप्लाई प्रेशर एवं गुणवत्ता की जांच करेगी। कलक्टर के दौरे के दौरान अधीक्षण अभियंता मोहनलाल मीणा, अधिशासी अभियंता विमल प्रकाश, सहायक अभियंता निर्मल शर्मा, कनिष्ठ अभियंता सुरेश बैरवा एवं स्मार्ट सिटी के कंसलटेंट व कार्मिक उपस्थित रहे।

pnb मंडल शस्त्रा विभाग, तृतीय तल, एलआईसी भवन, सब सिटी सेन्टर, रेती स्टैंड, उदयपुर राजस्थान, फोन नं.: 0294 - 2688030, ई-मेल: cs8328@pnb.co.in

अचल सम्पत्ति की विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।

सर्व साधारण को और विशेष रूप से ऋणियों/ जमानतदारों को विशेषत:यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक/ प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/ प्रभारित है, का अधिग्रहण रचनात्मक/भौतिक/प्रतीकात्मक रूप से **पंजाब नेशनल बैंक** प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है"** को नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि, ऋणियों/ जमानतदारों से **पंजाब नेशनल बैंक** प्रतिभूत लेनदार की बकाया ऋण राशि की वसूली हेतु बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य, अग्रिम राशि (धरोहर राशि) संबन्धित संपत्ति के आगे नीचे दी गई तालिका में वर्णित है।

सुरक्षित सम्पत्ति की अनुसूची

लोट नं.	शाखा कार्यालय / खाते का नाम / ऋणियों/जमानतियों का नाम व पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण (बंधककर्ता का नाम)	(ए) 13(2) नोटिस की दिनांक / (बी) बकाया ऋण राशि दिनांक तक / (सी) कब्जा दिनांक / (डी) कब्जे का प्रकार प्रतीकात्मक/भौतिक/रचनात्मक	(ए) आरक्षित मूल्य / (बी) धरोहर राशि /अन्तिम तिथि / (सी) बोली वृद्धि राशि / (डी) सम्पत्ति निरीक्षण की दिनांक व समय	ई-नीलामी दिनांक व समय	प्रतिभूत लेनदार को ज्ञात भार का विवरण
1	रेलमगरा शाखा, राजसमंद श्रीमती कमला एस शर्मा पत्नी श्री सुरेश शर्मा श्रीमती कमला एस शर्मा पत्नी श्री सुरेश शर्मा आराजी नंबर 301, ग्राम अकोदडा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद (राज.)	राजस्व ग्राम अकोदड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला-राजसमंद, राजस्थान में स्थित आवासीय संपत्ति पट्टा संख्या 83 का साम्यिक बंधक क्षेत्रफल 314.16 वर्ग फीट श्रीमती कमला एस शर्मा पत्नी श्री सुरेश शर्मा के नाम पर। सीमाएं: उत्तर: भेरू लाल पुत्र खेम राज तेली का घर, दक्षिण: गोपीलाल पुत्र हीरा लाल तेली का घर, पूर्व: भंवर लाल पुत्र डालचंद शर्मा का घर, पश्चिम: आम रास्ता नीलामी संदर्भ संख्या: PUNB22591001	(ए) 28.09.2021 (बी) रु. 10,27,153.82 दिनांक 31.08.2021 को बकाया एवं आगे का ब्याज एवं खर्चे पूर्ण भुगतान तक (सी) 15.01.2022 (डी) भौतिक कब्जा	(ए) रु. 16,39,000/- (बी) रु. 1,63,900/- (06.06.2024) (सी) रु. 20,000/- (बीस हजार मात्र) (डी) 05.06.2024 सुबह 11:00 बजे से साँय 04:00 बजे तक	07.06.2024 सुबह 11:00 बजे से साँय 04:00 बजे तक	ज्ञात नहीं

शर्तें व निबन्धन- बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निम्नलिखित शर्तों और निबन्धनों के अधीन होगी। 1. सम्पत्ति को **"जो जहाँ है, जो जैसा है, और जो कुछ भी है"** के रूप में बेचा जाएगा। 2. इस अनुसूचि में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्ति के विवरण को प्राधिकृत अधिकारी की प्राप्त पूर्ण जानकारी के अनुसार ही प्रतिभूत आस्तियों को उपर दिखाई गई तालिका के अनुसार बेचा जाएगा, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत कथन या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. उपरोक्त बिक्री https://www.mstcecommerce.com की वेबसाइट पर **दिनांक 07.06.2024** को उपरोक्त तालिका में दर्शाएं गए समय अनुसार ई नीलामी के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी। 4. विक्रय की विस्तृत जानकारी हेतु व निबन्धन और शर्तों के लिए कृपया www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app एवं www.pnbindia.in देखें।

दिनांक: 14.05.2024
स्थान: उदयपुर

हस्ता.
प्राधिकृत अधिकारी
पंजाब नैशनल बैंक, सुरक्षित ऋणदाता

सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के अधीन 15 दिन की विक्रय की वैधानिक सूचना

ऑपरेशन कर श्वास नली से निकाला मक्के का दाना

उदयपुर के पीएमसीएच के चिकित्सकों ने तीन साल की बच्ची के श्वास नली में फंसे मक्के के दाने का ऑपरेशन कर बाहर निकाल नया जीवन दिया।

उदयपुर, (कासं)। पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल के कान नाक एवं गला रोग विभाग के चिकित्सकों ने 3 साल के बच्ची की श्वास नली में फॅसे मक्के के दाने को निकाल कर उसे नया जीवन दिया।

दरअसल मध्यप्रदेश के मंदसौर निवासी 3 बर्षीय बच्ची रियॉसी ने मक्के का दाना निगल लिया जो बच्ची की श्वास नली में फॅस गया। जिसके कारण उसे लगातार खांसी और सीने में दर्द के साथ साथ श्वास लेने में दिक्कत होने लगी। बच्चे की ऐसी स्थिति को देखतें हुए परिजन उसे तुरन्त पीएमसीएच की इमरजेन्सी में लेकर आए।

इमरजेन्सी में कान नाक एवं गला रोग विशेषज्ञ डॉ.शिव कौशिक ने तर्परता दिखाते हुए तुरन्त बच्चें की जॉच करने पर पता चला कि बच्ची के दोनो फेफडो के बीच में श्वास नली में कुछ बीज जैसा फॅसा हुआ है जिसकी बजद से उसे श्वास लेने में तकलीफ हो रही है। बच्ची का तुरन्त ऑपरेशन करना जरूरी था। चिकित्सकों की टीम ने बिना समय गॅवाए बच्ची की बॉन्कोस्कापी करने का निर्णय लिया एवं सफलता पूर्वक मक्के के दाने का निकाल लिया गया।

इस सफल ऑपरेषन में कान,नाक एवं गला रोग विभाग के डॉ. एस. एस.कौशिक, डॉ.रिचा गुप्ता, डॉ. प्रकाश औदित्य, डॉ.समीर गोयल एवं टीम का सहयोग रहा।

कान,नाक एवं गला रोग विशेषज्ञ डॉ.शिव कौशिक ने बताया कि आमतौर पर इस तरह की समस्या होने पर डॉक्टर ऑपरेशन कर उस चीज को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन बच्चे की कम उम्र को देखते हुए ऐसा करना बिल्कुल भी संभव नहीं था। इसके बाद चिकित्सको की टीम ने बच्चे को बेहोश कर दूरबीन द्वारा उसके मुंह के रास्ते से श्वास नली के अन्दर फॅसे हुए मक्के के दाने को बाहर निकाला। डॉ.शिव कौशिक ने स्पष्ट किया कि अगर ऑपरेशन में अगर देरी हो जाती तो बच्ची की मक्के के दाने के फूलने के कारण श्वास नली के बन्द होने की बच्चें की जान भी जा सकती थी। परिजनों ने पीएमसीएच के चेयरमेन राहुल अग्रवाल, एक्जीक्यूटिव डॉयरेक्टर अमन अग्रवाल, सभी चिकित्सकों, मैनेजमेंट, नर्सिंग कर्मियों एवं स्टाफ का आभार जताया।

Fax No. 01476-230257 nagarpalika_kapasan@yahoo.com

कार्यालय नगर पालिका कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)

क्रमांक/न.पा.क./तामीर/2024-25/253 दिनांक: 14-05-24

उजरदारी सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि नगरपालिका कपासन क्षेत्र में निम्नांकित व्यक्ति द्वारा स्वामित्व दस्तावेज के रूप में पट्टा/रजिस्ट्री, ब्लू प्रिन्ट नक्शा की प्रतियां इत्यादि प्रस्तुत कर हस्तान्तरण/तामीर (निर्माण स्वीकृति) चाही है। इस संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या आस-पडौस को कोई आपत्ति हो तो वह लिखित रूप में मय साक्ष्यस्वरूप दस्तावेज के 7 दिवस में पालिका कार्यालय में प्रस्तुत कर दें मियाद गुजरने पर कोई भी आपत्ति काबिले समाअत नहीं होगी। "सूचित हो" निम्नांकित आवेदक के संबंध में अन्य जानकारी एवं मौके का नक्शा किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. सं.	नाम आवेदक	विक्रेता/पट्टाधारक का नाम	भूखण्ड स्थान	विशेष विरण (आवेदन)
1.	श्रीमती अनिता जायसवाल पत्नी श्री भंवर लाल जायसवाल	श्रीमती अनिता जायसवाल पत्नी श्री भंवरलाल जायसवाल	उदयपुर रोड चुंगीनाका वार्ड नं. 03 कपासन	तामिर स्वीकृति
2.	श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री किशन लाल आचार्य	श्री नन्दराम पिता श्री नोला जाट	रिद्धी-सिद्धी नगर वार्ड नं. 08 कपासन	हस्तानान्तरण व तामिर स्वीकृति
3.	श्री रमेश चन्द्र पिता श्री नन्दलाल तम्बोली श्री मनीष पिता श्री रमेशचन्द्र तम्बोली श्री शिवराज पिता श्री रमेशचन्द्र तम्बोली	श्री रमेश चन्द्र पिता श्री नन्दलाल तम्बोली श्रीमती मंजुदेवी पत्नी श्री रमेशचन्द्र	पुराना उदयपुर रोड वार्ड नं. 04 कपासन	हस्तानान्तरण व तामिर स्वीकृति
4.	श्रीमती आमना बेगम पत्नी श्री मोहम्मद अकिल मौमीन	श्री सुल्तान सिंह कोठारी पिता श्री उगम लाल कोठारी	मास्टर कॉलोनी वार्ड नं. 07 कपासन	हस्तानान्तरण
5.	आर.जे. बिल्डर्स पार्टनर श्री जिनेन्द्र कोठारी पिता श्री रामलाल कोठारी	श्री रामलाल ईनाणी पिता श्री कैलाशचन्द्र ईनाणी	कृष्णा पेट्रोल पम्प के सामने	हस्तानान्तरण व तामिर स्वीकृति
6.	श्री मोहम्मद रूस्तम काजी पिता श्री मोहम्मद इब्राहिम	श्री मोहम्मद रूस्तम काजी पिता श्री मोहम्मद इब्राहिम	मौमीन मौहल्ला, दीवाना गली कपासन	तामिर स्वीकृति
7.	श्री मनोज प्रजापत पिता श्री हंसराज प्रजापत	श्री रामनारायण पिता श्री गणेश लाल बारेगामा श्री मुकेश पिता श्री मदन लाल जागेटिया	उदयपुर-चित्तौड़ हाईवे, पेट्रोल पम्प के सामने कपासन	हस्तानान्तरण व तामिर स्वीकृति

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका कपासन